न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ0

10.4.18

[illegible] कोर्ट में [illegible] 28/6/18 [illegible]

28.6.18

[illegible] लोकदी जावे दिनांक 3/7/18 को न्यायालय में पेश हो।

3/7/18 पत्रावली 340 वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 17.7.18 को पेश हो।

17/7/18 पत्रावली 340 बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 24.7.18 को पेश हो।

24/7/18 पत्रावली उपस्थित। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर आलिफ फामाली किया गया। पत्रावली नियमानुसार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील [illegible] से।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीणा आ0ए0एस0

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
60/05	04.06.2005	24/7/2018

अनुवान

1. धीरू पुत्र श्री गोपाल जाति जाट ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 (मृतक)
   [1/1]. दयानंद पुत्र श्री धीरू
   [1/2].अनची पत्नी धीरूराम
   [1/3].राजबाला
   [1/4]. शकुन्तला
   [1/5]. बेदो
   [1/6].सरोज
   [1/7]. माया
   [1/8]. सरोज पुत्रीयान धीरूराम
   [1/9].धनपती पत्नी नवल
   [1/10].मनोज पुत्र नवल
   [1/11].निशा पुत्री नवल
   [1/12]. कान्ता पुत्री नवल जाति जाटान निवासीयान ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

–वादीगण

बनाम

1. मातादीन
2. बलबीर
3. देशराज
4. महासिंह पुत्रान् रामकरण
5. राजो पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

:–असल प्रतिवादीगण

6. रामकिशोर
7. तोताराम
8. रतन
9. वीरसिंह
10. पोपसिंह पुत्रान दिलसुख पौत्र रामलाल
11. भोलूराम पुत्र रामसिंह
12. मोहनलाल पुत्र छीतर जाति जाट निवासी ग्राम कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– तरतीबी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

दावा इश्तकारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती वो

हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री राजाराम यादव अभिभाषक वादीगण
2. श्री सीतल प्रसाद चौधरी अभिभाषक प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा मय वकील उपस्थित होकर एक वाद इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल खसरा संख्या 1997/1–5 बिस्वा ग्राम कोटकासिम जिला–अलवर स्थित है जो आराजी साबिक खसरा संख्या 1254 रकबा 0–14 बिस्वा, 1255 रकबा 0–11 बिस्वा के पैमूद हुऐ है। उक्त हाल खसरा नम्बर में से 0–11 बिस्वा रकबा प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल मीलान क्षेत्रफल व जमाबंदी संख्या 2059 से 62 संलग्न है। साबिक खसरा नम्बर 1255 रकबा 0–11 बिस्वा सहित अन्य अनेक खसरा नम्बरान का खातेदार मंगल पुत्र यामराम जाट निवासी कोटकासिम था। जिससे उक्त खसरा नम्बर सहित अन्य खसरा नम्बरान को जर्ये रजि0 बयनामा बाजाप्ता बाकब्जा दिनांक 09.02.1967 को मिन वादीने दो हिस्सा तर0प्रति0संख्या 12 के पिता रामसिंह ने एक हिस्सा तर0प्रति0संख्या 2 लगायत 11 के दादा रामलाल ने एक हिस्सा व तर0प्रति0संख्या 13 ने एक हिस्सा खरीद किया था। नकल बयनामा संलग्न है। मंगल से उक्त आराजी खरीद करने के बाद हम समस्त क्रेतागण वादी व तर0प्रति0 व इनके पिता दादाउ में बाहमी तोर पर बटवारा हो गया था जिसके ताबे साबिक खसरा नम्बर 1255/0–11 बिस्वा जो हाल ख0न0 1997 में मिला है तन्हा मिन वादी के हिस्से आया जिस पर मिन वादी उसी वक्त से तन्हा काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आर रहा है। चूंकि तर0प्रति0संख्या 7 लगायत 11 का दादा रामलाल हमारे परिवार का कर्ता था, हम समस्त क्रेतागन एक ही कुटुम्ब है, तथा रामलाल कर्ता परिवार होने के कारनही उनके नाम का गिरदावरी में काश्त का अंकन हो गया था किन्तु आराजी सदैव–सदैव से वक्त खरीद के बादसे ही मिन वादी के हिस्से है तथा मिन वादी ही काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा हूं। मौके पर मिन वादी का कब्जा है। विवादित आराजी से असल प्रतिवादीगन का कोई लेना देना सरोकार व सम्बन्ध नही है ना ही कभी रहा है किन्तु प्रति0 व इनके बुजुर्गान ने सं0 2029 में वक्त सैटलमेन्ट, सैटिलमेन्ट विभाग के अधिकारीगण व कर्मचारीगणों से साज बाज होकर गलत रूप से खिलाफ कानुन खिलाफ मौका विपरित रिकॉर्ड आफ राईट्स के अपने नाम का अंकन खिलाफ मौका विपरित रिकार्ड आफ राईट्स के अपने नाम का अंकन करा लिया जो अंकन सरीहन गलत खिलाफ कानुन व रिकॉर्ड हुआ है। जिसे हजफ कराकर मिन वादी स्वयं को 0–11 बिस्वा रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का व इसी कदर रिकार्ड में अंकन कराने का हकदार हूँ। जिसके लिऐ दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती दायर करना लाजिम आया है। मिन वादी ने वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड दिनांक 1/6/2005 को पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी प्राप्त की तो उक्त अंकन प्रतिवादीगण के नाम होने की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर मिन वादी अजखुद दिनांक 03/06/2005 को प्रतिवादीगन असल से मिला व उक्त गलत अंकन को दुरूस्त कराने के लिऐ निवेदन किया तो प्रतिवादीगण असल स्पष्ट तोर पर इंकार हो गये व आराजी को फरोख्त करने व वादी को बेदखल करने की धमकी दी है। जिससे अविलम्ब ही दावा हाजा पेश करना लाजिम आया है।

यदि वाकई असल प्रतिवादीगण अपने इन नापाक मंसूबों में कामयाब हो गये तो मिन वादी को हर सूरत में नापूर्ति होने वाली क्षति होगी दीगर मुकदमा बाजी से उलझना पडेगा, हकूक वादी पर आवरण छा जावेगा, अपनी खरीदशुदा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी के उपयोग उपभोग से बेजा महरूम होना पडेगा, जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयों में नही आंकी जा सकेगी। इसलिऐ मिन वादी असल प्रति0 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द कराने का हकदार हूँ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

हकूक वादी कानुनन रक्षित है। इसलिऐ मिन वादी को अपने हकूकों की रक्षार्थ वादपत्र पेश करना लाजिम आया है।

दावा हाजा के लिऐ बिनायदावी बिनाय मुखासमत जानकारी दिनांक 01.06.2005 व धमकी दिनांक 03.06.2005 से उत्पन्न हुई है कि जिससे दावा हाजा मामूलन अन्दर अवधि पेश है।

दावा हाजा पर 2/रूपया कोर्टफीस व 4/रूपया तलबाना फीस चस्पा कर पेश है।

पक्षकारान व विवादित आराजी वाके हदूदअदालत श्रीमान है अतः दावा हाजा काबिल समाअत अदालत श्रीमान है।

अतः प्रार्थना है कि दावा बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण असल निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः–

डिक्री इज्राय इश्तकरारहक बहक वादी पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादी आराजी हाल ख0न0 1997/1–5 बिस्वा में से 0–11 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम जिला अलवर का खातेदार काश्तकार है तथा जो अंकन सं0 2029 ता हाल प्रतिवादीगण असल व इनके बुजुर्गो के नाम का आया है वो हकूक वादी के विरूद्ध बातिल व बेसर है जिसे बातिल व बेअसर करार दिया जावे तथा असल प्रति0 का नाम 0–11 बिस्वा रकबा से हजफ किया जाकर वादी का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

जर्ये हुक्मइम्तनाई दवामी प्रति0 को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी मुतनाजा का कोई जुज कही रहन बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारामुन्किल ना करे, ना ही जब्रन कब्जा करे, ना ही वादी को बेदखल करे, ना ही कब्जा काश्त वादी में मुजाहिम हो।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दावा पेश किया। जिसमें अंकित किया की विवादित आराजी वादी व तर0प्रति0 द्वारा मंगल से खरीद की गई है। उसका अंकन वादी व तर0प्रति0 के हक में दर्ज व मंजूर हो चुका है तथा तर0प्रति0 के हक में ज्यादा आराजी खरीद की गई आराजी से अधिक चड़ी हुई है। किन्तु वादी ने उनके विरूद्ध वाद दायर ना कर के गलत रूप से हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद दायर किया है। जिस हालात में आराजी हम प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को प्राप्त हुई है। साबिक आराजी खसरा संख्या 1255 प्रतिवादी सं0 5 के बुजुर्गानो कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। जो उसे उसके मृतक पति/ससुर से विरासत में मिली है। जिस पर प्रति0 सं0 5 के बुजुर्गान वक्त लागु होने राज0 काश्त0 अधि0 व बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 काबिज व दाखिल होकर काश्त कर रहे थे। यदि कोई गिरदावरी में रामलाल के नाम का अंकन हुआ है तो वो गलत रूप से बमिल्लत राजस्व कर्मचारियान हुआ है। जिससे हम जवाबदारान पाबन्द नही है। खसरा नम्बर 1997 प्रतिवादी संख्या 5 की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी तथा हम जवाबदारान की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 2107 थी तथा हम जवाबदारान व प्रतिवादी संख्या 5 ने अपनी सुविधा के अनुसार ख0न0 1997 व 2107 का आपस में तबादला किया हुआ है जो तबादला विधिवत रूप से उप पंजियक कोटकासिम के यहा पंजिबद्ध हुआ है जिसके ताबे हम जवाबदार के हिस्से ख0न0 1997 आई है तथा प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से में ख0न0 2107 आई है। हम जवाबदारान विवादित आराजी ख0न0 1997 रकबा 1–05 बिस्वा के 2/3 भाग के काबिज काश्त खातेदार काश्तकार बोनाफाईड पर्चेजर (जरिये तबादला) है तथा मौके पर काबिज व दाखिल है। वादीगण का कोई लेना देना मुतनाजा आराजी से नही है। वादीगण कोई किसी प्रकार की दुरूस्ती कराने का हकदार नही है। इसलिए वाद निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा महज हम जवाबदारान को तंग व परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जो निरस्त योग्य है। जवाबदारान ने अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 5 की बुजुर्गानी कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी जिससे हम जवाबदारान ने अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आराजी खसरा संख्या 2107 प्रतिवादी सं0 5 को देकर प्रतिवादी सं0 5 की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 1997 को लेकर आपस में तबादला करके प्राप्त की है। विवादित आराजी के हम जवाबदार बोनाफाईड परचेजर (जर्ये तबादला) मालिक खातेदार काश्तकार है। तथा जो आराजी

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वादी व तर0प्रति0 के नाम हिस्से से अधिक का अंकन हुआ है जिसके विरूद्ध ही वादी को दावा करना चाहिएं हमारे विरूद्ध गलत रूप से यह दावा किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने जवाब में अंकित किया कि अर्जिदावा बावत आराजी वाके होना सही है। आराजी विवादित नही है। जिसे बेजा रूप से विवादित बनाया गया है। आराजी वादी व तर0प्रति0 द्वारा, मंगल से खरीद की गयी है उसका अंकन वादी व तर0प्रति0 के हक में दर्ज व मंजूर हो चुका है। तथा तर0 प्रति0 के हम में ज्यादा आराजी खरीद की गयी आराजी से अधिक चढ़ी है। किन्तु वादी ने उनके विरूद्ध वाद दायर ना करके गलत रूप से हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद दायर किया है। साबिक आराजी खसरा संख्या 1255 प्रतिवादी सं0 5 के बुजुर्गानी कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी जो उसे मिन जवाबदार बुजुर्गान के वक्त से काबिज हूं तथा पुर्व में उक्त आराजी पर मिन जवाबदार के बुजुर्गान वक्त लागु होने राज0 काश्त0 अधि0 व राज0 बिस्वेदारी अन्मुलन अधिनियम के वक्त काबिज व दाखिल होकर काश्त करते थे। यदि काई गिरदावरी में रामलाल का अंकन हुआ है तो वो गलत रूप से बयमिल्लत राजस्व कर्मचारियान हुआ है जिससे हम जवाबदारान पाबंद नही है। प्रतिवादी संख्या 5 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के जवाब को ही दोहराया है।

तर0प्रति0 7 लगायत 13 की ओर से इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है जिसमें अंकित किया है कि मुताबिक वाद वादी का वाद डिक्री कर दिया जावे।

वादीगण ने अपने साक्ष्य में P.W.1 धीरू पुत्र गोपाल, P.W.2 भीम सिंह पुत्र हरलाल, P.W.3 बदलुराम पुत्र गोविन्दाराम, P.W.4 दोलतराम पुत्र लखमीचन्द के शपथपत्र पेश किये जिन पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई।

बहस विद्वांन वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया ओर कहा कि आराजी हाल खसरा संख्या 1997/1–5 बिस्वा ग्राम कोटकासिम जिला–अलवर स्थित है जो आराजी साबिक खसरा संख्या 1254 रकबा 0–14 बिस्वा, 1255 रकबा 0–11 बिस्वा के पैमूद हुऐ है। उक्त हाल खसरा नम्बर में से 0–11 बिस्वा रकबा प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल मीलान क्षेत्रफल व जमाबंदी संख्या 2059 से 62 संलग्न है। साबिक खसरा नम्बर 1255 रकबा 0–11 बिस्वा सहित अन्य अनेक खसरा नम्बरान का खातेदार मंगल पुत्र यामराम जाट निवासी कोटकासिम था। जिससे उक्त खसरा नम्बर सहित अन्य खसरा नम्बरान को जर्ये रजि0 बयनामा बाजाप्ता बाकब्जा दिनांक 09.02.1967 को मिन वादीने दो हिस्सा तर0प्रति0संख्या 12 के पिता रामसिंह ने एक हिस्सा तर0प्रति0संख्या 2 लगायत 11 के दादा रामलाल ने एक हिस्सा व तर0प्रति0संख्या 13 ने एक हिस्सा खरीद किया था। नकल बयनामा संलग्न है। मंगल से उक्त आराजी खरीद करने के बाद हम समस्त क्रेतागण वादी व तर0प्रति0 व इनके पिता दादाउ में बाहमी तोर पर बटवारा हो गया था जिसके तावे साबिक खसरा नम्बर 1255/0–11 बिस्वा जो हाल ख0न0 1997 में मिला है तन्हा मिन वादी के हिस्से आया जिस पर मिन वादी उसी वक्त से तन्हा काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आरं रहा है। चूंकि तर0प्रति0संख्या 7 लगायत 11 का दादा रामलाल हमारे परिवार का कर्ता था, हम समस्त क्रेतागन एक ही कुटुम्ब है, तथा रामलाल कर्ता परिवार होने के कारनही उनके नाम का गिरदावरी में काश्त का अंकन हो गया था किन्तु आराजी सदैव–सदैव से वक्त खरीद के बादसे ही मिन वादी के हिस्से है तथा मिन वादी ही काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा हूं। मौके पर मिन वादी का कब्जा है। विवादित आराजी से असल प्रतिवादीगन का कोई लेना देना सरोकार व सम्बन्ध नही है ना ही कभी रहा है किन्तु प्रति0 व इनके बुजुर्गान ने सं0 2029 में वक्त सैटलमेन्ट, सैटिलमेन्ट विभाग के अधिकारीगण व कर्मचारीगणों से साज बाज होकर गलत रूप से खिलाफ कानुन खिलाफ मौका विपरित रिकॉर्ड आफ राईट्स के अपने नाम का अंकन खिलाफ मौका विपरित रिकार्ड आफ राईट्स के अपने नाम का अंकन करा लिया जो अंकन सरीहन गलत खिलाफ कानुन व रिकॉर्ड हुआ है। जिसे हजफ कराकर मिन वादी स्वयं को 0–11 बिस्वा रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का व इसी कदर रिकार्ड में अंकन कराने का हकदार हूँ। जिसके लिऐ दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती दायर करना लाजिम आया है। मिन वादी ने वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड दिनांक 1/6/2005 को पटवारी हल्का से नकल

उपखण्ड अधिकारी (अलवर)

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी प्राप्त की तो उक्त अंकन प्रतिवादीगण के नाम होने की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर मिन वादी अजखुद दिनांक 03/06/2005 को प्रतिवादीगन असल से मिला व उक्त गलत अंकन को दुरूस्त कराने के लिऐ निवेदन किया तो प्रतिवादीगण असल स्पष्ट तोर पर इंकार हो गये व आराजी को फरोख्त करने व वादी को बेदखल करने की धमकी दी है। वादीगण अधिवक्ता ने आर0आर0टी0 2013–14 पेज संख्या 303, आर0आर0डी0 जुलाई 2002 पेज 356, आर0आर0टी0 2014–15 पेज संख्या 560, आर0आर0डी0 मार्च 2006 पेज संख्या 145 की नजीर पेश की।

विद्वांन प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि वादी ने विवादित आराजी हाल ख0न0 1997 का 1–5 में से 0–11 बिस्वा रकबा दिखाया है, तथा कहा है कि 1254 का 0–14 व 1255 का 0–11 का बना है, का कहा है कि 11 बिस्वा आराजी विवादित कह लावेगी इसमें स्पष्ट यह नही लिखा है कि कौन से खसरा नम्बर का रकबा 11 बिस्वा आराजी विवादित कहलावेगी । पिलिडिंग भ्रमित है, स्पष्ट नही है कि कौनसे खसरा नम्बर की आराजी 0–11 बिस्वा को विवादित बताना चाहता है जिसका हम प्रतिवादीगन ने स्पष्ट जवाब दावा में लिखा है कि आराजी विवादित नही है क्योंकि जवाब दावा में लिखा है कि आराजी विवादित नही है क्योंकि 1254 की आराजी प्रतिवादीगण की दादालाई की आराजी है तथा 1255 की 11 बिस्वा आराजी तबादला में 1 लगायत 4 ने प्रतिवादीया राजो देवी से ली है। जिसका बयनामा प्रतिवादीगन अपने जवाब दावा के साथ पेश किया है। तथा प्रतिवादी बलराम उर्फ बलबीर पुत्र रामकरण ने प्रदर्श डी01 बयनामा 23.01.2001 पेश किया है। इसलिए किसी प्रकार से विवादित नही है। तथा उसी दिन तबादला से काबिज आराजी है। प्रतिवादी के पास बयनामा है तथा तबादला की जमीन देकर बयनामा कराया है। वादी ने अपने वाद में प्रतिवादी की रजिस्ट्री 23.01.2001 को न तो कैन्सिल कराया और नही वाद वादी में नल एण्ड वाइड करार दिलाने की इस्तदुआ ही की है, इसलिए किसी भी प्रकार से वादी प्रतिवादी बयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल चढ़वा कर आया है, तथा इन्तकाल भी उसी व्यक्ति के चढ़ता है जो काबिज आराजी होता है। वादी ने न तो बयनामा प्रतिवादी दिनांक 23.01.2001 के खिलाफ रिलीफ ही मांगा है और न ही अपने वाद में इस तथ्य को खोला है कि प्रतिवादी वादी के पास यह जमीन कैसे आई है। बल्कि गलत तथ्य के साथ व अधूरा ज्ञान से बिना किसी पूरी जानकारी के वाद पेश किया है । अतः प्रतिवादी की आराजी किसी भी प्रकार से विवादित साबिक नही होती है, तथा वक्त तबादला बयनामा दिनांक 23.01.2001 से आज तक शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल है। अतः वाद वादी यह साबिक करने में असफल रहा है कि वाद वादी विवादित किस प्रकार है। जिमन न0 एक वादी साबत नही कर पाया है। जिमन न0 2 में साबिक ख0स0 1255 का 11 बिस्वा मंगल पुत्र श्यामराम जाट से 09.02.1967 को खरीद बताता है यह बयनामा भ्रमित है तथा गलत है क्योंकि इन्ही खसरा नम्बरान का पहले रहननामा था और उसी समय उन्होने उसी रहननामा के बहाने से उस रहननामा का मंगल अनपढ़ आदमी था उससे यह कह कर कि तेरा इस नम्बर से वादीगण का कोई लेना देना नही है तथा जब सभी नम्बरों का बयनामा का इन्तकाल चढ गया तो इस नम्बर का इन्तकाल क्यो नही चढ़ा और जब मंगल ने ऐतराज किया तो उन्होने उसको यह कह कर बैठा दिया कि इस नम्बर का हम इन्तकाल दर्ज नही करवा रहे आपका यह नम्बर है जो मर्जी आये वो करो। जिमन नम्बर 2 में वादी कहता है कि कुल खरीद आराजी का दो हिस्सा धीरू पुत्र गोपाल आदी को तथा 1 हिस्सा रामसिंह तथा 1 हिस्सा रामलाल ने तथा 1 हिस्सा मोहन तरतीबी ने खरीद किया है। जिमन नम्बर 2 में वादी यहै साबित करना चाहता है की यह आराजी मेरे, हिस्से में आई है ऐसा नही है वादीगण गोपाल के चार लड़के है जिनमें बडा लड़का धीरू है दूसरा दुलीचन्द पुत्र गोपाल, 3 अमरसिंह पुत्र गोपाल, 4 चिरन्जी पुत्र गोपाल है धीरू वादी का 1228/1–1 व 1244/1–00, धीरू ने पोहप को बेचा जिनका हाल 1228 के हाल 1968 व 1244 के हाल न0 1985 है। 1253 तथा चिरन्जी पुत्र गोपाल के 1237/1–3 जिसके हाल 1979/1–3 है 1235/0–19, चिरन्जी पुत्र गोपाल के है जिसक जिसके 1977 है कुल धीरू के 2/5 हिस्से गोपकाल के वारिसान धीरू, अमरसिंह, दुलीचन्द, चिरन्जी आदी को 2/5 में इनके 78 बिस्वा होनी चाहिये में जो बाकि धीरू वगैरा के 83 बिस्वा फिलहाल चढ़ी हुई है। वादीगण धीरू के 19 1/2 बिस्वा, (साढे उन्नीस बिस्वा) आराजी आती है जबकि धीरू के 21 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो चुका है। अतः वादी का वादी इसलिये मेनटेबल नही है क्योंकि वादी का कोई हिस्सा शेष नही है बल्कि वादी ने ही औरो का हिस्सा दबा

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

रखा है तथा अपने सामर्थ गलत फायदा उठाना चाहता है। वादी तरतीबी प्रतिवादीगण का हिस्सा का डिकलेशन चाहता है तो वादी बयनामा करा सकता है स्टाम्प राज0 सरकार में जमा कराये तथा जिस का हिस्सा कम है वह वाद लेकर आये प्रतिवादी के पास जमीन तबादला बयनामा से आई है बयनामा कैंसिल कराये जाने या अदालत श्रीमान के यहां नल ऐण्ड वाईड करार दिलाने का वाद लाये जबकि यह वाद रिकार्ड दुरूस्ती है। प्रतिवादी बयनामा से राजस्व रिकॉर्ड में आया है इसलिये राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती प्रतिवादी के खिलाफ नही लाया जा सकता है।

रामलाल पुत्र घीसू का इन्द्राज अलग से नही है क्योंकि 1/2 का 6 हिस्सेदार तो मंगल पुत्र श्यामराज था घीसू, रामसिंह पुत्र घीसू के गोपाल पुत्र घीसू रामलाल पुत्र घीसू, रामसिंह पुत्र घीसू, छीतर पुत्र घीसू था अतः इनका सामलात खाता था उस गिरदावरी को राजो बेवा रामस्वरूप की इन्द्राजात के खिलाफ नही पढ़ा जा सकता क्योंकि रामस्वरूप इस विवादित ख0 न0 पर 2004 से सेटलमेन्ट तक काबिज काश्त था तभी राजस्थान टी0 एक्ट 1956 आया तथी से कब्जा था। इस आधार पर सम्वत् 2029 से पहले रामजीलाल, रामस्वरूप, पुत्र प्रभू के काश्त दर्ज है। इसलिये वादी का यह कहना की 2029 में जमाबन्दी में सेटलमैन्ट कर्मचारियो ने चढ़ा दी गलत है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत 2004 से आज तक रामस्वरूप, रामजीलाल, पुत्र प्रभू के नाम चली आ रही है। अतः इस वाद में 2029 से पहले की जमाबन्दीयों को चैलेन्ज नही किया है इसलिये जिमन जमाबन्दीयों वादी ने चैलेन्ज नही किया तो उन जमाबन्दी की प्रतिलिपी अदालत श्रीमान नही पढ़ सकती वाद वादी गलत पिलिडिंग से डिक्री नही हासिल कर सकता है प्रतिवादी का नाम 2029 से पहले की जमाबंदीयो व गिरदावरीयो में जिनको वादी ने चेलेन्ज ही नही किया ।

विद्वांन अधिवक्तओं की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09.02.1967 के अवलोकन से जाहीर है कि विवादित साबिक आराजी ख0न0 1255 रकबा 11 बिस्वा जो वादीगण की खरीद शुदा आराजी है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 1255 रकबा 11 बिस्वा जो हाल खसरा नम्बर 1997 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा में सामिल किया गया है। हाल जमाबन्दी मय हाल ख0न0 1997 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा जो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक आराजी ख0न0 1255 जो वादीगण द्वारा क्रय किया गया है वह दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख0न0 1997 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम में से 0–11 बिस्वा से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का नाम हजफ कर वादीगण के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें ।

निर्णय आज दिनांक 24/7/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

CM

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0